



प्रेस नोट

सराहनीय कार्य कानपुर देहात

दिनांक- 29.08.2024

- महिला सम्बन्धी अपराधों पर अंकुश लगाने हेतु कानपुर देहात पुलिस द्वारा की गयी कड़ी कार्यवाही।
- नाबालिग बालिका के साथ दुष्कर्म की घटना कारित करने वाले 01 नफर अभियुक्त को थाना रसूलाबाद पुलिस द्वारा किया गया गिरफ्तार।
- थाना रसूलाबाद पर पंजीकृत मु0अ0सं0 361/2024 धारा 376(2)(n)/376(3)/506 भा0द0वि0 व धारा 3/4(2) व 5(1)/6 पाक्सो एक्ट में वांछित था अभियुक्त है।

कृपया अवगत कराना है कि श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन, कानपुर, श्री आलोक सिंह व श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक कानपुर रेन्ज, कानपुर, श्री जोगेन्द्र कुमार के कुशल मार्गदर्शन में व श्रीमान पुलिस अधीक्षक कानपुर देहात श्री बीबीजीटीएस मूर्ति के निर्देशन में जनपद कानपुर देहात में अपराध नियन्त्रण की दिशा में महिला सम्बन्धी अपराधों/घटनाओं की रोकथाम व खुलासे हेतु चलाये जा रहे विशेष अभियान के क्रम में, दिनांक 28.08.2024 को वादी द्वारा दी गयी लिखित तहरीर के आधार पर थाना रसूलाबाद पर मु0अ0सं0 361/2024 धारा 376(2)(n)/376(3)/506 भादवि0 व धारा 3/4(2) व 5(1)/6 पाक्सो एक्ट बनाम अभियुक्त कृष्ण कुमार उर्फ कृष्णा पुत्र राजू राजपूत निवासी ग्राम डुडौली थाना डेरापुर जनपद कानपुर देहात पंजीकृत किया गया है। जिसमें थाना पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए मुखबिर खास की सूचना पर अभियुक्त कृष्णा कुमार उपरोक्त को दिनांक 28.08.2024 को समय 16.50 बजे कानपुर रोड पर कठिका खुर्द मन्दिर कठिका बुझवा मोड़ के पास से गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तारशुदा अभियुक्त को नियमानुसार मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण –

कृष्ण कुमार उर्फ कृष्णा पुत्र राजू राजपूत निवासी ग्राम डुडौली थाना डेरापुर कानपुर देहात।

अभियुक्त का अपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 361/2024 धारा 376(2)(n)/376(3)/506 भा.द.वि. व धारा 3/4(2) व 5(1)/6 पाक्सो एक्ट थाना रसूलाबाद, कानपुर देहात।

गिरफ्तारी करने वाली थाना रसूलाबाद पुलिस टीम-

1. प्र0नि0 श्री अनिल कुमार
2. व0उ0नि0 श्री देवनारायण द्विवेदी
3. हे0का0 495 सन्तोष कुमार
4. चालक हे0का0 सतेन्द्र कुमार दीक्षित